रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 1990/भाद्रपद 21, 1912
No. 393] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 1990/BHADRA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1990

विषय] : प्रदूषण] के निवारण तथा नियंत्रण के लिए विशिष्ट कार्य को [सार्वजनिक मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार ।

सा.का.नि. 774 (अ).—सरकार ने प्रदूषण के [illegible]रण तथा नियंत्रण के वास्ते सार्थक उपाय करने के [illegible]गों और संचालनों को प्रोत्साहन देने के लिए [illegible] एक योजना संस्थापित करने का निर्णय [illegible]

[illegible]योगों तथा संचालनों को प्रति वर्ष पुरस्कार [illegible] जाएंगे, जो अपने कार्यों के जरिए पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण में महत्वपूर्ण तथा परिमेय योगदान करेंगे। खनन जैसे वे सभी उद्योग तथा संचालन, पुरस्कार हेतु प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिनके कार्यों, बहिस्रावों और उत्सर्जनों से उद्योगों अथवा संचालन द्वारा निवारक कार्रवाई न किये जाने के कारण भूमि, जल, वायु अथवा कोई प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित अथवा अवक्रमित हो सकते हैं ।

3. पुरस्कार के रूप में कप/शील्ड के साथ प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा, जिसको पुरस्कार विजेता अपने पास रख सकते हैं ।

4. प्रतिवर्ष 15 (पन्द्रह) पुरस्कार दिये जायेंगे । इन पुरस्कारों में से 10 पुरस्कार (प्रत्येक क्षेत्र के लिए दो) बड़े तथा मझोले उद्योगों अथवा संचालनों को तथा 5 पुरस्कार (प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक) लघु उद्योगों तथा संचालनों को प्रदान किये जायेंगे। बड़े तथा मझोले उद्योगों को दिये जाने वाले दस पुरस्कारों में तीन (3) पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय की श्रेणी में रखा जाएगा और शेष सभी पुरस्कार एकसमान होंगे। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योगों अथवा संचालनों के लिए चुने गए पुरस्कारों में दो पुरस्कारों को प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में रखा

जाएगा। पुरस्कार केवल तभी दिये जायेंगे जब सराहनीय नामांकन प्राप्त होंगे।

5. उद्योगों का चयन नीचे विनिर्दिष्ट पांच (5) क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा :

(1) उत्तर — जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा चंडीगढ़ (केन्द्र शासित प्रदेश)।

(2) केन्द्र — मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश।

(3) पूर्व — बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (केन्द्र शासित प्रदेश), अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा।

(4) दक्षिण — आन्ध्र प्रदेश, गोआ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी (केन्द्र शासित प्रदेश) तथा लक्षद्वीप (केन्द्र शासित प्रदेश)।

(5) पश्चिम — गुजरात, महाराष्ट्र, दमण, दीव तथा दादरा व नगर हवेली (केन्द्र शासित प्रदेश)।

6. पुरस्कार के लिए पात्रता निम्नलिखित बातों पर आधारित होगी :—

(1) उत्पादित अपशिष्टों की कमी/पुनरुपयोग/रिसाइकलिंग अथवा किसी प्रकार के लाभदायक उपयोग सहित उनका उपशमन।

(2) बहिस्रावों तथा उत्सर्जन में भारी और निरन्तर कमी।

(3) परिसंकटमय रसायनों का उपयोग करने वाली इकाइयों के आसपास रहने वाले समुदाय के लिए खतरे को कम करना।

(4) पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पाद बनाने तथा पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग की दिशा में कोई अन्य उल्लेखनीय विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण योगदान।

(5) पर्यावरणीय सुधार के लिए ठोस एवं निरन्तर उपाय।

7. गुणात्मक तथा मात्रात्मक योगदान का महत्व और पर्यावरण का परिमेय प्रभाव चयन का मुख्य मानदण्ड होगा। मात्रात्मक तथ्यों का प्रारम्भिक लक्ष्य उत्पादन की प्रति यूनिट उत्सर्जन और बहिस्राव में कमी को मापना है। गुणात्मक तथ्यों में प्रदूषण के उपशमन के लिए बन्धकों द्वारा किये गए प्रयासों का मूल्यांकन, जो निर्माण प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है और उसके द्वारा निरन्तर आधार पर पर्यावरणीय सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। निर्धारित मापदण्डों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाई इस पुरस्कार की पात्र नहीं होगी

8. चयन समिति प्रायोजक प्राधिकरणों से पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनो की समीक्षा करेगी, यह उस राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा, जहां उद्योग स्थित है।

9. ये पुरस्कार वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के लिए दिये जाएंगे। प्रायोजक प्राधिकरण अपने नामांकन हर वर्ष निर्धारित तिथि पर पर्यावरण और वन मंत्रालय में प्रदूषण नियंत्रण के प्रभारी अधिकारी के पास भेजेंगे।

10. निम्नलिखित सदस्यों की एक चयन समिति पुरस्कारों के लिए सरकार को संस्तुति करेगी :—

(1) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय —अध्यक्ष

(2) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(3) महानिदेशक, तकनीकी विकास

(4) अध्यक्ष, स्टैंडिंग कांफ्रेंस आफ पब्लिक एंटरप्राइसिज

(5) महानिदेशक, भारतीय मानक संस्थान

(6) निदेशक, नेशनल एन्वायरन्मेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।

(7) अध्यक्ष, इंडियन बर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन

(8) अध्यक्ष, फैडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

(9) अध्यक्ष, एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

(10) अध्यक्ष, कान्फैडरेशन आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज

(11) अध्यक्ष, फैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज

(12) पर्यावरण और वन मंत्रालय में प्रदूषण नियंत्रण के प्रभारी अधिकारी।

11. पुरस्कार विजेताओं को अपने कर्मचारियों लेपल-पिन, टाई अथवा विशिष्ट प्रकार के बैज पर एक सर्किल में ई एन वी चिह्नित होगा, अधिकार है। पुरस्कार विजेता अपने पक्ष-श्री ओर से जारी किये जाने वाले विज्ञाप का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी म प्राप्त करने के वर्ष का अवश्य उल्लेख किया

12. पुरस्कार हर वर्ष एक औपचारिक जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उसकी एक एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

[सं. क्यू.-16016/52/90-सी.पी.ए.]

मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

RESOLUTION

New Delhi, the 10th September, 1990

Subject: National Awards for public recognition of outstanding activity for prevention, and control of pollution.

G.S.R. 774(E):—The Government have decided to institute a scheme of awards, to encourage industries and operations to take significant steps for prevention and control of pollution.

2. Awards will be granted every year to industries and operations which make a significant and measurable contribution towards prevention and control of environmental pollution through their actions. All industries and operations such as mining whose actions, effluents and emissions may, in the absence of preventive action by the industries or operations, pollute or degrade soil, water, air or any, natural resources are eligible to compete for the prize.

3. The awards will be in the form of a cup/shield with a citation which will be retained permanently by the awardee.

4. Awards numbering upto fifteen (15) will be given every year. Out of these awards, 10 awards will be given (two for each region) to major and medium industries or operations and 5 awards (one for each region) for small scale industries or operations. Out of the ten awards given to the major or medium industries three (3) awards will be ranked as first, second and third and the rest will be equal. Also, two awards from those selected amongst small-scale industries or operations, will be ranked as first and second. The prizes will be given only if meritorious nominations are available.

5. The selection of industries will be on the basis of their location in the five (5) regions specified below :

1. North — Jammu & Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab and Chandigarh (UT),
2. Central — Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh.
3. East — Bihar, Orissa, Sikkim, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands (UT), Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.
4. South — Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry (UT) and Lakshadweep (UT).
5. West — Gujarat, Maharashtra, Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli (UT).

6. The eligibility for the awards shall be based on the following considerations :—

(i) Abatement, including reductions/reuse/recycling or any beneficial use of waste generated.

(ii) Substantial and steady reduction in the effluents and emissions in the year.

(iii) Reduction of risk to the community living in the vicinity of units handling hazardous chemicals.

(iv) Any other identifiable specific and significant contribution towards the manufacture of environmentally friendly products and development and use of environmentally sound technologies.

(v) Substantial and continuing steps for environmental improvement.

7. The significance of the contribution both in qualitative and quantitative terms, as well as measurable impact on the environment will be the major criteria for selection. The quantitative factors are primarily aimed at measuring the reduction in emissions and effluents per unit of output. The qualitative factors will assess the efforts initiated by the management to make abatement of pollution an essential ingredient of the manufacturing process and thereby ensure environmental improvement on a continuing basis. An industrial unit which is not meeting the standards prescribed will not be eligible for the award.

8. The Selection Committee shall review the nominations for the awards received from the sponsoring authorities, which shall be the Pollution Control Board of the State where the unit is located.

9. The prizes will be given for performance during the financial year. The sponsoring authorities shall forward their nominations to the officer incharge Pollution Control in the Ministry of Environment and Forests on a date to be notified, every year.

10. A Selection Committee consisting of the undermentioned will make recommendations for the awards to the Government :—

(i) Secretary, Ministry of Environment and Forests — Chairman.

(ii) Chairman, Central Pollution Control Board.

(iii) Director General, Technical Development.

(iv) Chairman, Standing Conference of Public Enterprises.

(v) Director General, Indian Standards Institution.

(vi) Director, National Environmental Engineering Research Institute.

(vii) President, Indian Working Journalists Association.

(viii) President, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry.

(ix) President, Associated Chamber of Commerce and Industry.

(x) President, Confederation of Engineering Industries.

(xi) President, Federation of Association of Small Scale Industries.

(xii) Officer incharge of Pollution Control in the Ministry of Environment and Forests.

11. Winners of the awards have the privilege of issuing to their employees-lapel pins, ties or other distinctive badges with the symbol ENV in a circle embossed on such material. The winners of awards shall also have the option to use this symbol in their letter heads or any advertisement issued by them. The year of the awards shall invariably be mentioned in all such cases.

12. The awards will be given at a formal ceremony every year.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

[No. Q-16016/52/90-CPA]

MUKUL SANWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990